

**(MASTER PLAN SECTION)
PUBLIC NOTICE**

The following modification which the Delhi Development Authority/ Central Government proposes to make to the Master Plan-2021/ Zonal Development Plan of Zone P-I (Narela Sub-city) under Section 11-A of DD Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/ suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of **thirty (30) days** from the date of this Public Notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address in addition to telephone no./contact number (s)/E-mail ID which should be readable.

Location	Area (in Ha.)	Land use as per MPD-2021 & ZDP of Zone-P-I	Land use Changed to	Boundaries
Sector G-3, G-4, Narela above UER-II (100M wide Road) and adjacent to Railway Track.	8.50	Residential-RD	Utility-U4	North: Approx. 9M wide road South: Green Belt along UER-II (100M wide Road) East: Proposed 40M wide Road West: Village Holambi Kalan / Built-up

The text/plan indicating the proposed modification shall be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002 on all working days within the period referred above. The text/plan indicating the proposed modification is also available on the following link i.e., <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2022>

File No.: PLG/MP/0067/2021/F-20/- O/o ADDL
COMMISSIONER(PLG)-II
Dated: 29.03.2022
Place: New Delhi

Sd./-
(D. Sarkar)
Commissioner-cum-Secretary,
Delhi Development Authority

Please give your feedback on DDA Apps at  Google play
Please Visit DDA's Website at www.dda.org.in or Dial Toll Free No. 1800110332

Size:8x15 cms

**(मुख्य योजना अनुभाग)
सार्वजनिक सूचना**

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत मुख्य योजना-2021/जोन-पी-1 (नरेला उप नगर) की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से तीस [30] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी के अलावा अपना नाम, पता भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन :

अवस्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-पी-1 की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	परिवर्तित भूमि उपयोग	सीमाएँ
उपर्युक्त शहरी विस्तार सड़क-II (100 मीटर चौड़ी सड़क) सेक्टर जी-3, जी-4, नरेला और रेलवे ट्रैक के समीप	8.50	आवासीय-आरडी	उपयोगिता-यू4	उत्तर: लगभग 9 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण: शहरी विस्तार सड़क-II (100 मीटर चौड़ी सड़क) के साथ हरित पट्टी पूर्व: प्रस्तावित 40 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम: होलाम्बी कलां गांव/निर्मित

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2022> पर भी उपलब्ध है।

फाइल सं.: पीएलजी/एमपी/0067/2021/एफ-20/ अपर आयुक्त
(योजना)-II कार्यालय
दिनांक : 29.03.2022
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./-
(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया  Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।
कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 पर डायल करें

Size:8x15 cms